# //कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)//

**(email-id : dcourtjha-mp@nic.in Phone No. : 07392-243350)**

## —::परिपत्र::—

क्रमांक—...Q.../सा0अनु0/2021, झाबुआ, दि0:—17/01/2021

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारगण, जिला झाबुआ।
(2) समस्त अनुभाग के प्रभारी अधिकारीगण जिला झाबुआ।
(3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ।
(4) प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ।

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित भौतिक कामकाज शुरू किये जाने हेतु दिये गये दिशा—निर्देश के संबंध में।

संदर्भः— रजिस्ट्री जबलपुर के परिपत्र क्रमांक—**A/113** दिनांक 15.01.2021 के पालन में।

—::00::—

माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से म0प्र0 के अधीनस्थ न्यायालयों में परिवार न्यायालय सहित नियमित भौतिक कामकाज शुरू किये जाने के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा—निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं **राजेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ** दिनांक 18.01.2021 से आगामी आदेश तक के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होंगेः—

1— यह कि सभी न्यायालयों में समस्त प्रकृति के प्रकरण सुनवाई में लिये जाएंगे।

2— यह कि समस्त न्यायालय नियम एवं आदेश में दिये गये समय अनुसार कार्य करेंगे एवं पीठासीन अधिकारी प्रतिदिन नियत किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या को इस प्रकार निश्चित करेंगे कि सुनवाई के दौरान न्यायालय में भीड़ एकत्रित न हों।

3— यह कि वर्तमान में जिले में कोवीड—19 के प्रभाव को देखते हुए नियमित भौतिक सुनवाई तथा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग दोनों के माध्यम से सुनवाई की जाएगी।

4— यह कि प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रत्येक दिवस सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरणों की कॉज लिस्ट तैयार कर सूचना पटल पर चस्पा कर कॉज लिस्ट अनुसार प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

5— यह कि अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षीगण की उपस्थिति के

संबंध में आदेश पत्रिका में उल्लेख किया जावेगा किंतु कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षीगण के आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर, जहॉ कानून के अनुसार अनिवार्य है, को छोड़कर नहीं लिये जावेंगे।

6– यह कि अदालत के समक्ष अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति विशेष कारण से निर्देशित किये जाने पर आवश्यक होगी अन्यथा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग या हाजरी माफी आवेदन के माध्यम से उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। विचाराधीन बंदी के मामले में प्रकरण में प्रथम रिमांड के दौरान न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होगी तथा पश्चात् में अन्य रिमांड वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दी जा सकेगी।

7– यह कि समस्त न्यायिक अधिकारी समन जारी करने की सामान्य प्रकिया के अलावा सी0आई0एस0 एन0सी0 3.2 में दी गयी सुविधा का उपयोग करके संदेश के माध्यम से समन की सेवा का उपयोग करेंगे, जो समन की सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया गया है।

8– यह कि जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं स्टॉफ के प्रवेश एवं निकासी के लिए सभी एहतियाती उपाय किये जावेंगे और न्यायालय में जनसमूह को सीमित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

9– यह कि न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं स्टॉफ के सदस्य जिनको क्वारेंटीन या आईसोलेट किया गया है, का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

10– यह कि मद्यपान, गुटखा, पान, तम्बाकू खाकर न्यायालय परिसर में थूकना पूर्णतः वर्जित रहेगा एवं कोई व्यक्ति ऐसा करता पाये जाने पर केन्द्र/राज्य शासन द्वारा जारी विधि व निर्देशानुसार अभियोजन व दण्ड के भागी होंगे।

11– यह कि न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण तथा स्टॉफ के सदस्य न्यायालय में तर्क के दौरान तथा साक्ष्य लेखबद्ध किये जाते समय तथा अन्य समय न्यायालय परिसर में फेस मास्क का उपयोग इस तरह करेंगे कि नाक एवं मुंह ढका रहे।

12– यह कि सभी प्रवेश द्वार जहां से न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टॉफ के सदस्य प्रवेश करते हैं, वहां पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनकी थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कार्य हेतु नियुक्त किये गये स्टॉफ द्वारा आवश्यक रूप से की जावेंगी।

13– यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बुखार अथवा सर्दी–जुखाम जैसे लक्षण हों, उसे न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि स्टॉफ का कोई सदस्य बुखार तथा सर्दी–जुखाम जैसे लक्षणों से ग्रसित हो उसे तत्काल इस बात की सूचना अपने पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश को देनी होगी।

14– यदि किसी अधिवक्ता को बुखार अथवा सर्दी–जुखाम के लक्षण होतो वह तुरंत इसकी जानकारी संबंधित अधिवक्ता संघ एवं जिला न्यायाधीश को देगा।

15– यह कि जिला मुख्यालय झाबआ सहित तहसील न्यायालयों के क्षेत्र में कर्फ्यू/लॉकडाउन/कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर उस क्षेत्र के न्यायालय का कार्य बंद रहेगा, किंतु अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों में कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर को सूचित करते हुए, की जाएगी।

16– यह कि केवल ऐसे पक्षकारगण तथा उनके अधिवक्तागण को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके मामले सुनवाई हेतु नियत हों, इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त स्टॉफ की व्यवस्था की जाए, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन्हीं अधिवक्तागण/पक्षकारगण को प्रवेश दिया जाए, जिनके मामले उस दिन सुनवाई हेतु नियत हों।

17– यह कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो इसको देखते हुए न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन एवं फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी।

18– यह कि अभिभाषक कक्ष, अधिवक्तागण के चेम्बर तथा बार लाईब्रेरी तभी खोली जाएंगी, जबकि अभिभाषक संघ द्वारा कोवीड–19 सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये हों। अध्यक्ष अभिभाषक संघ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोवीड–19 की सुरक्षा के सभी उपाय एवं सैनेटाईजेशन किया गया हो एवं अभिभाषक कक्ष में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हों।

19– यह कि न्यायालय परिसर जैस न्यायालय कक्ष, न्यायाधीश कक्ष, ऑफिस, शौचालय एवं अन्य अनुभागों में समुचित सैनेटाईजेशन कराया जाए एवं मुख्य प्रवेश द्वार शौचालय तथा न्यायालय के बरामदों में हैण्डवॉश एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था की जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में हाथ धोए अथवा हाथों को सैनेटाईजन किये बगैर प्रवेश न कर सकें।

20– यह कि न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्ता व पक्षकारों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनकी पुकार न्यायालय द्वारा लगायी गयी हों तथा अन्य अधिवक्तागण एवं पक्षकार न्यायालय के बाहर सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने प्रकरण की सुनवाई के लिए पुकार लगने तक इंतजार करेंगे।

21– यह कि न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं स्टॉफ के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। एक समय में न्यायालय कक्ष में अधिवक्ता, पक्षकार, साक्षीगण सहित 10 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी न्यायालय में पर्याप्त स्थान को देखते हुए अधिवक्ता, पक्षकार को न्यायालय में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। पीठासीन अधिकारी प्रकरणों की सुनवाई एक–एक करके करेंगे तथा अगले प्रकरण की सुनवाई से पहले 02 मिनिट का अंतराल होगा, जिसमें न्यायालय में सैनेटाईजेशन किया जाएगा।

22– यह कि न्यायालय कक्ष में कुर्सी व बेंचों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा तथा न्यायालय व ऑफिस में स्टॉफ की बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जावेगी।

23– यह कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय कक्ष, बरामदा, गैलरी व परिसर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होगी।

24– यह कि न्यायालय कक्ष के बाहर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड सुचारू रूप से कार्यरत रखे जाएंगे तथा न्यायालय की कॉज लिस्ट संबंधित अधिवक्ता व पक्षकारगण की सुविधा के लिए डिस्प्ले बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी।

25– यह कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा जजमेंट एवं प्रकरणों की अगली सुनवाई की तिथि को वेबसाईट में जल्द से जल्द अपलोड किया जावें।

26– यह कि समस्त अधिवक्तागण प्रकरण से संबंधित अपनी फाईल संधारित करेंगे एवं प्रकरण की सुनवाई के पश्चात् तत्काल न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

27– यह कि शासन के निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों का मूवमेंट कम–से–कम किया जाना है इसलिए जो अधिवक्ता/सीनियर अधिवक्ता जिनकी आयु–65 वर्ष या उससे अधिक है, से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे न्यायालय परिसर में प्रवेश करते हैं, तो समस्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए, प्रवेश करें अन्यथा वे वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

28– उपरोक्त दिशा–निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा दिन प्रतिदिन वस्तु स्थिति को सुपनवाईज एवं मॉनीटर कर जिला न्यायाधीश को अवगत कराये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी

का गठन किया जाता हैः—
जिला मुख्यालय झाबुआः—
1. श्री महेश कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश (SC/ST POA Act.) झाबुआ।
2. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ।
3. श्री दिनेश जैन, प्रशासनिक अधिकारी झाबुआ।
तहसील पेटलावदः—
1. श्री जे.सी. राठौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेटलावद।
2. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ पेटलावद।
3. नायब नाजिर, तहसील न्यायालय पेटलावद।
तहसील थांदलाः—
1. श्री नदीम खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 थांदला।
2. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ थांदला।
3. नायब नाजिर, तहसील न्यायालय थांदला।

29— यह कि न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का फंक्शन या पार्टी आयोजित नहीं की जावेगी।

30— यह कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोवीड—19 के संबंध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाए।

31— यह कि कोई अधिवक्ता व पक्षकार उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो इसकी सूचना जिला न्यायाधीश द्वारा बार काउंसिल म0प्र0 तथा संबंधित बार एसोसिएशन को देते हुए, माननीय उच्च न्यायालय को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया जाएगा।

32— यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस परिपत्र के प्रभावशील होने की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए यूनिट मापदंड में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

33— यह कि यूनिट मापदंड के संबंध में पूर्व परिपत्र कमांक—ए/2874 दिनांक 03.12.2020 की प्रभावशीलता, इस परिपत्र के प्रभावित रहने तक के लिए बढ़ायी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र तथा इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त दिशा—निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावें।
संलग्नः—संदर्भित परिपत्र की छायाप्रति।

Rajesh KG 17/1/2021
(राजेश कुमार गुप्ता)
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**झाबुआ (म0प्र0)**

## //कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)//

पृष्ठांकन क्र0....2..../सा0अनु0/2021,        झाबुआ, दि0:–17/01/2021

**प्रतिलिपिः–**

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर।
की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी झाबुआ।

3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक झाबुआ।
की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किये जाने एवं न्यायालय में (कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र के कर्मचारियों को छोड़कर) जिन कर्मचारियों की अत्यावश्यक ड्यूटी लगायी गयी है, उन्हें न्यायालय आने जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ।

6. जिला लोक अभियोजक झाबुआ।

7. जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ।

8. जिला जेल झाबुआ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. जिला जनसंपर्क अधिकारी झाबुआ।
की ओर जिला व संभाग के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर झाबुआ।
की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. सिस्टम/सहायक ऑफिसर झाबुआ।
की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि समस्त/सर्व संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति झाबुआ जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

17/1/2021

(राजेश कुमार गुप्ता)
**जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**झाबुआ (म0प्र0)**